बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/वि11–39/2015.......... पटना, दिनांक................ 2017

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

औपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना ICT @ School कार्यक्रम के तहत आवर्ती अनुदान मद में केन्द्रांश ₹ 20.13 लाख (बीस लाख तेरह हजार) रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश ₹ 13.42 लाख (तेरह लाख बयालीस हजार) रूपये अर्थात कुल ₹ 33.55 लाख (तेतीस लाख पचपन हजार) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना ICT @ School कार्यक्रम के तहत आवर्ती अनुदान मद केन्द्रांश ₹ 20.13 लाख (बीस लाख तेरह हजार) रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश ₹ 13.42 लाख (तेरह लाख बयालीस हजार) रूपये अर्थात कुल ₹ 33.55 लाख (तेतीस लाख पचपन हजार) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा की उपयोगिता एवं मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए चरणबद्ध रूप से राज्य के सभी राजकीय/राजकीयकृत/ अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट विद्यालय के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराया गया है।

3. भारत सरकार के पत्रांक–16-3/2016-RMSA-1(SC), दिनांक–31.03.2017 द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत आवर्ती अनुदान हेतु ₹ 20.13 लाख (बीस लाख तेरह हजार) रूपये की विमुक्ति की गयी है।

4. (i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 20.13 लाख (बीस लाख तेरह हजार) रूपये का विकलन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माँग सं0 21, उपशीर्ष 0207–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), विपत्र कोड–21–2202021090207 के अन्तर्गत विकलन विषय शीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मद में प्राप्त उक्त के समानुपातिक राज्यांश ₹ 13.42 लाख (तेरह लाख बयालीस हजार) रूपये के व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माँग सं० 21, उपशीर्ष 0307– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०), विपत्र कोड–21–2202021090307 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0307. 31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 33.55 लाख (तेतीस लाख पचपन हजार) रूपये की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर

BTC-42 पर विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. उक्त राशि का व्यय केन्द्र द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या– पत्रांक–16-3/2016-RMSA-1(SC), दिनांक–31.03.2017 और उनके निर्गत आदेशों पत्रांक–15-2/2017-RMSA-1(Part-2), दिनांक–28.08.2017 एवं पत्रांक–1-14/2017-RMSA-III, दिनांक–18.05.2017 के तहत विर्निदिष्ट दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

7. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में तत्काल इसे राज्य ICT@School योजना से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजना योजना के तहत प्राप्त राशि से व्यय किये गये राशि का समायोजन किया जायेगा।

8. कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (ए०सी०/डी०सी० उपयोगिता कोषांग) को उपलब्ध करायेगी। जिसे कोषांग द्वारा महालेखाकार (ले० एवं ह०) को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का आवंटनादेश विशेष सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा।

10. उक्त योजना के अनुश्रवण की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा और जिला स्तर पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05–10–2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. संचिका संख्या– 11/वि11–39/2015 के पृष्ठ–122/टि० पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है।

13. संचिका संख्या– 11/वि11–39/2015 के पृष्ठ–124/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अरशद फरोज)

उप सचिव।

पत्रांक : 11/वि11–39/2015....... पटना, दिनांक.................. 2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 11/वि11–39/2015.......68 पटना, दिनांक 6/10/ 2017

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद/ प्रबंध निदेशक, बी०एस०इ०आइ०डी०सी० लिमिटेड पटना /निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/संबंधित सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/बजट शाखा एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

E:\SWIKRITAYDESH\2017-18\ICT Swikrityadesh- 2017-18 doc

(5)